विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग–2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बुधवार, 29 जून, 2022 / 08 आषाढ़, 1944 (शक)

संख्या–82

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के तृतीय सत्र के द्वितीय भाग का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सातवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का द्वितीय भाग **सोमवार, दिनांक 04 जुलाई, 2022 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054** में प्रारंभ होगा।

तृतीय सत्र के द्वितीय भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

विधान सभा की बैठक अस्थायी तौर पर 04 एवं 05 जुलाई 2022 के लिए निर्धारित की गई है। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ायी जा सकती है।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू होगी और तब तक चलेंगी जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। गणपूर्ति की घंटी नियत समय से **05 मिनट पूर्व** बजेगी ताकि सदस्य अपना आसन ग्रहण कर सकें।

फेस मास्क पहनना और पहचान पत्र प्रदर्शित करना :

कोविड–19 वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे फेस मास्क अनिवार्यतः पहनें। माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे फेस मास्क पहने हुए अपना पहचान पत्र साथ लाएं और प्रदर्शित करें, जिससे विधानसभा परिसर में उनको ठीक से पहचानने में भी मदद मिलेगी।

टीकाकरण का अंतिम प्रमाण पत्र / जाँच रिपोर्ट :

माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभी माननीय सदस्यों को अनिवार्य रूप से कोविड–19 टीकाकरण का अंतिम प्रमाण पत्र या कोविड–19 जाँच रिपोर्ट, जो 04.07.2022 को सत्र शुरू होने से 48 घंटे से पहले जारी नहीं की गई है, साथ लेकर आना अनिवार्य है।

बैठने की व्यस्वथा:

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में अपने निर्धारित आसन ग्रहण करें।

विशेष उल्लेख (नियम–280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को उठाना चाहते हैं, **प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व कार्यदिवस को अपराह्न 05.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग उस दिन पूर्वाह्न 09.30 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी, जिस दिन मामले को उठाया जाना है।**

बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है। माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8–10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रकिया :

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम–258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैः–

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा नोटिस शाखा में ही दी जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय–समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुली रहेगी।
2. नोटिस शाखा में उप–नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएँ अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।
3. जब सदन की बैठक हो रही हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनाएँ उप–नियम(1) के अंतर्गत प्राप्त होंगी, उनकी प्रतिलिपि सचिव द्वारा सदस्यों में अगले दिन तक वितरित कर दी जाएँगी।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा की नोटिस शाखा में जमा कराना चाहिए। **नोटिस शाखा कमरा नंबर 46 में स्थित है।**

(ग) विधान सभा की नोटिस शाखा में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

(घ) विधान सभा की नोटिस शाखा ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएँ न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ड.) विधान सभा की नोटिस शाखा कार्यालय समयानुसार खुली रहेगी।

दर्शक– दीर्घाः

दिनांक 29 जून, 2017 को जारी समाचार भाग–2 (संख्या 105) में माननीय अध्यक्ष द्वारा दर्शक–दीर्घा के प्रवेश –पत्र बनाने के लिए दिये गए निर्देश, माननीय सदस्यों के सूचनार्थ संलग्न हैं। हालांकि, आगंतुकों को प्रवेश–पत्र आवेदन के साथ कोविड–19 टीकाकरण के लिए अंतिम प्रमाण पत्र या कोविड–19 जाँच रिपोर्ट जो सत्र के दिन से 48 घंटे से पहले जारी नहीं की गई है, संलग्न करना अनिवार्य है।

राज कुमार
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Wednesday, 29 June 2022/ 08, Aashaadh, 1944 (*Shaka*)

No. 82

COMMENCEMENT OF SECOND PART OF THIRD SESSION OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Second part of Third session of Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence from **Monday, 4th July, 2022 at 11:00 A.M.** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING SECOND PART OF THIRD SESSION:

Sitting of the Legislative Assembly has been tentatively fixed for **04 and 05 July 2022.** Subject to the exigencies of business, the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The sitting of Legislative Assembly will commence at 11:00 AM and will continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung 05 Minutes before the time stipulated above to enable Members to take their seat.

WEARING OF FACE MASK AND DISPLAY OF IDENTITY CARDS:

In view of the prevailing COVID-19 pandemic situation, Hon'ble Members are requested to wear face mask compulsorily. Hon'ble Members are also requested to carry and display their Identity Cards while wearing face masks which would also help in identification in Legislative Assembly Complex.

FINAL VACCINATION CERTIFICATE/TEST REPORT:

Hon'ble Speaker has directed that all Hon'ble Members are compulsorily required to carry Final Certificate for Covid-19 vaccination or otherwise a Covid-19 test report issued not earlier than 48 hours prior to the commencement of session on 04/07/2022.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are requested to take their respective seats allotted to them in the House.

SPECIAL MENTION UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give Notice of the same **by 05:00 P.M. on the working day preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary, Legislative Assembly at 09.30 A.M.**

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the Members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:

(1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Branch between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(2) A notice received in the Notice Branch after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(3) While the House is sitting, copies of Notices except of cut motions, received under sub-rule (1) shall be circulated by the Secretary to members by next day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Branch. **THE NOTICE BRANCH IS LOCATED IN ROOM NO. 46.**

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Branch are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Branch is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Branch shall remain open during office hours.

VISITORS' GALLERY:

Direction of Hon'ble Speaker regarding issue of Gallery Passes conveyed vide Bulletin Part-II No.105 dated 29 June, 2017 is enclosed for reference of Hon'ble Members. However, application for passes to visitors must be accompanied with Final Certificate of Covid-19 Vaccination/RT-PCR Test Report of visitors conducted not prior to 48 hours of the day of session.

Raj Kumar
Secretary

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPAITAL TERRIOTORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General Information relating to legislative & other matters)
Thursday, 29 June, 2017/8 Aashaadh, 1939 (Shaka)

No. 105

Subject: "Guidelines for issuing Visitors' Gallery Passes".

The Directions of the Hon'ble Speaker regarding issuance of visitors' Gallery Passes are hereby reiterated for the kind information of the Hon'ble Members:-

1. The Hon'ble Members should recommend the names of persons for visitors' gallery only if they are personally assured about the visitors' antecedents.
2. Applications for passes will not be entertained unless they bear the signature and stamp of the MLA concerned and are enclosed with copies of photo I-Cards of the visitors duly attested by the concerned MLA.
3. Telephonic requests for issuance of passes will not be entertained.
4. Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5:00 PM on the working day pervious to the date for which the gallery passes are required.
5. The seating Capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes will ordinarily be issued to a Member for each sitting.
6. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग –2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 / 08 आषाढ़,1939 (शक)

सं. 105

विषयः ''दर्शक दीर्घा पास बनाने के लिए निर्देश''

दर्शक दीर्घा पास जारी करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निम्नलिखित निर्देश माननीय सदस्यों की सूचना हेतु पुनः जारी किये जाते हैं:–

1. माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।
2. दर्शक दीर्घा पास बनवाने के लिए प्रार्थना–पत्र तब तक स्वीकार न किया जायेगा जब तक उनपर संबंधित विधायक के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो।
3. पास जारी करने के लिए टेलिफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. दर्शक दीर्घा के पास जारी कराने के आवेदन–पत्र जिस दिन के लिए पास चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराहन 5:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं।
5. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक पास जारी नहीं किए जाएंगे।
6. दर्शक दीर्घा के लिए पास सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव